



Neutral Citation No. - 2026:AHC:49826

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 2648 वर्ष 2026

सिया राम

.....याची(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याची(गण) के अधिवक्ता : अरुण कुमार त्रिपाठी, मितेश अग्रवाल

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सी. एस. सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय विकास बुधवार, न्यायमूर्ति

1. रिट याची के विद्वान अधिवक्ता श्री अरुण कुमार त्रिपाठी और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री जितेन्द्र प्रसाद को सुना।
2. इस न्यायालय ने अनुदेश मांगते हुए 03.02.2026 को रिट याचिका ग्रहण की थी।
3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री जितेन्द्र प्रसाद ने सेनानायक, 12वीं वाहिनी, पी ए सी, फतेहपुर के हस्ताक्षरों के अधीन दिनांक 09.02.2026 के अनुदेश इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए हैं जो स्वयं में पर्याप्त हैं।
4. रिट याची का मामला यह है कि रिट याची 30.09.2024 को 12वीं वाहिनी, पी ए सी, फतेहपुर से सफाईकर्मों के पद से सेवानिवृत्त हुआ, तथापि, दिनांक 19.03.2025 के एक वचनबंध के आधार पर कि, यदि किसी अतिरिक्त धनराशि का भुगतान किया गया है तो उसकी वसूली की जाएगी, 3,64,945/- रुपये की धनराशि वसूल की गई।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. वर्तमान याचिका में प्रार्थना उक्त धनराशि को वापस करने का निर्देश देने के लिए है।
6. रिट याची के विद्वान अधिवक्ता यह निवेदन करते हैं कि यद्यपि रिट याची ने एक वचनबंध प्रस्तुत किया है परंतु यह सेवानिवृत्ति के पश्चात का था और इसके अतिरिक्त रिट याची के अनुसार, रिट याची एक सफाईकर्मी होने के नाते वचनबंध के आशय और प्रभाव तथा परिणाम के बारे में भली-भांति अवगत नहीं था और यह भी कि बिना स्वीकार किए यह मान भी लिया जाए कि वचनबंध प्रस्तुत किया गया था परंतु रिट याची उस वसूली की मात्रा का विवाद करता है जिसे किए जाने का प्रयास किया जा रहा है।
7. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री जितेन्द्र प्रसाद, उनके द्वारा प्राप्त अनुदेशों के आधार पर, यह निवेदन करते हैं कि एक बार जब रिट याची ने वचनबंध प्रस्तुत कर दिया था तो उसे उसका पालन करना होगा और वह उसमें कहे गए दायित्व से मुक्त नहीं सकता है।
8. मैंने बार के समक्ष इस प्रकार किए गए निवेदनों को सुना है और पत्रावली का अवलोकन किया है।
9. स्पष्ट रूप से, रिट याची एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है जो 30.09.2024 को सेवानिवृत्त होने का दावा करता है और एक वचनबंध के आधार पर अतिरिक्त धनराशि के लिए वसूली की गई थी। चूंकि, रिट याची का यह रुख है कि वह वसूली की मात्रा और साथ ही वचनबंध प्रस्तुत करने के तथ्य का भी विवाद कर रहा है, इस प्रकार, समग्र तथ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए मामले के औचित्य में, रिट याची को तृतीय प्रत्यर्थी, सेनानायक, 12वीं वाहिनी पी ए सी, फतेहपुर के समक्ष एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हुए संपर्क करने का निर्देश देते हुए रिट याचिका निस्तारित की जाती है और उक्त प्रस्ताव पर, तृतीय प्रत्यर्थी उसके बाद से दो माह की अवधि के भीतर रिट याची के दावे का निर्णय करेगा।
10. जहां तक उस वचनबंध के संबंध में मुद्दे का संबंध है जिसे दिनांक 13.08.2024 का बताया गया है जो अनुदेशों के अनुलग्नक-2 के रूप में संलग्न है, प्राधिकारी दावे का निर्णय करते समय मामले के उक्त पहलू पर भी ध्यान देंगे।
11. आज दाखिल किए गए अनुदेशों को पत्रावली पर लिया जाता है और परिशिष्ट 'क' के रूप में चिह्नित किया जाता है।

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11 मार्च, 2026

राजेश

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।